कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छा.प्रो./आवंटन–व्यय/उ.मै./25210/16–17/57 दिनांक :– 30/8/2016

1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

....

विषय :– **अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की छात्रवृति के भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 में राज्य आयोजना मद में बजट आवंटन।**

प्रसंगः– **आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्र क्रमांक 54971–74 दिनांक 30.08.16**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर **मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की छात्रवृति के भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 में** राज्य आयोजना मद **में** संलग्न अंकितानुसार बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। भुगतान हेतु उक्त उल्लेखित वित्तीय वर्ष से पूर्व के वर्षो की बकाया छात्रवृति इस आबंटित बजट मेसे स्वीकृत नही की जावें। छात्रवृति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013–14 से सान्याअवि.के पत्र क्रमांक एफ9(4)()/छात्र/आवेदन/सान्याअवि/2011/63202–493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठिय आय का उद्‌घोषणा/शपथ पत्र के साथ साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.13(34)राज/ग्रुप–1 /2012 दि. 09.08.12 द्वारा जारी आय उद्‌घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म नं.16 मान्य होगा।
2. सभी पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान संबंधित छात्र–छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाईन किया जावें।
3. वर्ष 2015–16 के आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु जारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिशा निर्देशों के आदेश क्रमांक एफ 9(4)(116)उमैछात्र/पेपरलेस/दिशानिर्देश/सान्याअवि/2015–16/60901 दिनांक 09.10.2015 एवं 66099–132 दिनांक 03.11.2015 की पालना सुनिश्चित की जावें।साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ 9(4)(104)/छात्रवृति/भौ.स./सान्याअवि/2015–16/12729–62 दिनांक 25.02.2016 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावें।
4. छात्रवृति स्वीकृत करने से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उ.मै.छात्रवृति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन,आय,जाती अन्य कोई छात्रवृति नही लिये जाने,दौहरा भुगतान नही होने आदि की जांच कर सन्तुष्टि उपरान्त ही छात्रवृति स्वीकृत की जावें। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
5. बजट आबंटन की सीमा में ही व्यय किया जावें।
6. आधिक्य/बचत की स्थिति में सूचना दिनांक 30.09.2016 तक भिजवाये अन्यथा आबंटित बजट को पूर्ण व्यय मान लिया जायेंगा जिसकी समस्त जिम्मेदार आप स्वयं की होगी। ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छा.प्रो./आवंटन–व्यय/उ.मै./25210/16–17/57 दिनांक :– 30/8/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

2 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृति योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।

4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

5 रक्षित पत्रावली

लेखाधिकारी